W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/8819/2009/जयपुर

गंगू पुत्र गोपी जाति अहीर निवासी राजपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

———अपीलार्थी

बनाम

1— मांग्या उर्फ मांगू
2— घीस्या
3— मेडू
पुत्रगण भगता अहीर निवासी ग्राम राजपुरा तहसील शाहपुरा
4— गिरधारी
5— बंशीधर
6— सीताराम
पुत्रगण प्रभात अहीर निवासी राजपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर
7— दाखली बेवा प्रभात अहीर
8— ग्यारसी पुत्री प्रभात अहीर
9— मंजू पुत्री प्रभात
निवासी राजपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर

———प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य
श्री आर. सी. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः
श्री आत्माराम शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः— 24 अक्टूबर, 2013

1— यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—10—2009 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किः—

(1) वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (विचारण न्यायालय) के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिकार घोषणा बाबत राजस्व वाद संख्या 78/1995 प्रस्तुत किया था, जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 97 लगायत 102, 109 लगायत 112, 118 से 121, 123, 124 वाके ग्राम राजपुरा तहसील शाहपुरा को पैत्रिक होना बताया गया और खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24–04–1997 द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैत्रिक व संयुक्त खातेदारी की नही मानते हुए वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का उक्त वाद संख्या 78/95 खारिज कर दिया था। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24–04–1997 को वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील आदि प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 24–04–1997 अंतिम हो गया था।

(2) उक्त पूर्ववर्ती वाद संख्या 78/95 उनवानी मांगू वगैरह बनाम गंगु के तथ्यों को छिपाते हुए वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने एक पश्चातवर्ती वाद संख्या 182/04 उनवानी मांग्या वगैरह बनाम गंगू वास्ते घोषणा, निषेधाज्ञा तथा विभाजन का विचारण प्रस्तुत किया है।

(3) उक्त पश्चातवर्ती वाद संख्या 182/04 में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश 2 नियम 2, आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04–06–2004 प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद संख्या 78/95 में दिनांक 24–4–97 को निर्णय हो चुका है, अतः पश्चातवर्ती वाद संख्या 182/04 पूर्व न्याय (resjudicata) के सिद्धान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है।

(4) दोनों पक्षों की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2004 द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 182/04 को विधि से वर्जित मानते हुये खारिज कर दिया।

(5) विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2004 के विरूद्ध वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की।

(6) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–10–2009 से उक्त अपील को स्वीकार कर वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रतिवादी/ अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस दिनांक 07—10—2013 को सर्किट बैंच कैम्प जयपुर में सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस के दौरान तर्क दिया किः—

(1) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 22—10—2009 पूर्णतया विधि एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में निहित विवादित बिन्दुओं और आदेश 7 नियम 11 तथा धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता प्रावधानों को सही रूप से समझे बिना एक अवैध तथा विकृत (perverse) निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

(2) कि प्रथम अपील के दौरान न्यायालय के सामने मात्र यह बिन्दु विचारणीय था कि क्या पक्षकारान के मध्य पूर्ववर्ती वाद संख्या 78/95 निर्णित हो चुका है और उक्त पूर्वी वाद संख्या 78/95 एवं वर्तमान वाद संख्या 182/04 में वादग्रस्त आराजीयात और पक्षकारान समान होने से दावा चलने योग्य है अथवा नहीं। स्वयं वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रतिवादी/अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का जवाब प्रस्तुत करते हुये पूर्ववर्ती वाद का चलना व निर्णीत होना स्वीकार किया है, किंतु इस स्वीकारोक्ति के बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के विधि संगत निर्णय को गलत रुप से उलट दिया है।

(3) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि प्रावधानों के विपरीत यह निष्कर्ष अंकित किया गया है कि पूर्व वाद के निर्णय के बावजूद वर्तमान वाद चल सकता है अथवा नहीं, इस प्रकार की आपत्ति प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में लाई जानी चाहिये। जब वादीगण स्वयं पूर्व वाद के तथ्यों को स्वीकार कर चुके हैं तो प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2003 SC 759 की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि दावे की पोषणीयता के सम्बंध में विधिक आपति किसी भी स्तर पर उठायी जा सकती है, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुये प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करके गंभीर कानूनी त्रुटि कारीत की है।

(4) कि वादीगण द्वारा पश्चातावर्ती वाद में घोषणा के साथ विभाजन का अतिरिक्त अनुतोष जोड देने मात्र से दावे की प्रकृति में कोई परिवर्तिन नहीं होता है क्योंकि जब तक वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष नहीं मिलेगा तब तक वह विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिये

पश्चातवर्ती दावे में और वर्तमान दावे में सारभूत रूपसे एक ही प्रकार का अनुतोष चाहा गया है और वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकारान भी समान है। इससे वर्तमान दावा पूर्व न्याय के सिद्धांत (theory of resjudicata) से बाधित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र पर विधि संगत आदेश पारित करते हुये स्वीकार किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना विधिक आधार के अपील स्वीकार करके विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया जो एक गंभीर त्रुटि है।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का अभिकथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–10–2009 निरस्त किया जावे और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–6–2004 को यथावत रखा जावे।

5– उपरोक्त तर्को का पुरजोर विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया किः–

(1) कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का दायरा अत्यन्त सीमित है और केवल वाद पत्र में लिखित अभिकथनों से दावा विधि से वर्जित प्रतीत होने पर ही न्यायालय द्वारा वाद को प्रारम्भिक स्तर निरस्त किया जा सकता है। जवाबदावे में अथवा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता जिसके लिये अतिरिक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना आवश्यक हो।

(2) कि पूर्व न्याय (resjudicata) का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसका निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में पूर्व निर्णय (resjudicata) के आधार पर वाद को विधि से वर्जित बताया गया है। पूर्व निर्णय (resjudicata) के आधार पर दावे को बिना तनकी व साक्ष्य के खारिज नहीं किया जा सकता है।

(3) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधि अनुसार है। उक्त निर्णय में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो।

अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में 2011 RRT 100, 2011 RRT 427, 2012 RRT 1357 और 2013 RRT 479 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया गया।

7— प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 24—03—2004 को प्रार्थना पत्र आदेश 2 नियम 2, आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र दिनांक 24—03—2004 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया था कि इन्ही पक्षकारान के बीच विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दावा निर्णीत किया जा चुका है, अतः दावा पूर्वन्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया है कि **''यह दावा resjudicata 'पूर्वन्याय' के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा दावा खारिज किया जाता है।''** इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 24—03—2004 को स्वीकार करते हुये वर्तमान वाद संख्या 182/04 को पूर्वन्याय (resjudicata) के सिद्वान्त पर सुने जाने योग्य नहीं मान कर खारिज कर दिया। हमारा मत है कि पूर्वन्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका विनिश्चयन साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्वन्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिये न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाबदावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के निर्णय को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आती है और इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना जवाबदावा आने के बाद विवाद्यक विरचित होकर साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु दोनों पक्षों को समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव है। बिना विवाद्यक विरचना व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है। अतः पूर्वन्याय के सिद्धान्त के आधार पर ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। अली बक्स उर्फ अली एवं अन्य के प्रकरण— 2009 RBJ 818 में राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में ही पूर्वन्याय की आपत्ति ली जा सकती है, ताकि न्यायालय विवाद्यक विरचित कर सके और उसे विनिश्चित कर सके। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 11 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। पूर्व न्याय के सम्बन्ध में विवाद्यक विरचित किये बिना और लिखित कथन लिये बिना धारा 11 के सम्बन्ध में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है क्योंकि यह बिन्दु तथ्यात्मक और विधिक दोनों ही है। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

दृष्टान्त 2011 RRT 427 प्रकरण कादू खान बनाम नाता एवं अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जब तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु हो तो ऐसे बिन्दु को साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है। 2011 RRT 100 प्रकरण राधाकिशन एवं अन्य बनाम श्यो सहाय में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र में यह आपत्ति ली गयी थी कि वादग्रस्त भूमि 'गैरमुमकिन सड़क'' है जिसमें खातेदारी नहीं मिल सकती है। राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जब वादपत्र के अभिवचनों में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है तो इस आपत्ति का विनिश्चयन विवाद्यक विरचना व साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है।

8— सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के दायरे और इसके अन्तर्गत न्यायालय की अधिकारिता को समझने के लिये उक्त आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन करना उचित है, जो निम्न प्रकार है:—

"11. Rejection of plaint.- *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
(a) where it does not disclose a cause of action;
(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
(e) where it is not filed in duplicate;
(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;
Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

9— उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया जावेगा यदि (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत

नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो। चूंकि हस्तगत प्रकरण में धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर विधि से वर्जित बताते हुये दावा खारिज करने का अनुरोध किया गया था, अतः इस प्रयोजन हेतु सुसंगत प्रावधान उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियम (घ) में होने से उक्त उपनियम (घ) की शब्दावली "where the suit **appears from the statement in the plaint** to be barred by any law" पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय यह है कि **आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत वाद खारिज करते समय यह देखना आज्ञापक है कि** दावा वादपत्र के **''कौन से अभिकथन''** के कारण **''किस विधि''** से बाधित है। अगर वादपत्र के किसी अभिकथन से दावा विधि से वर्जित नहीं है तो आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र में वर्णित अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर दावे को प्राथमिक रुप से खारिज नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अथवा वादोत्तर में वर्णित अतिरिक्त कथनों/ तथ्यों के आधार पर अलग से विवाद्यक विरचित किया जा सकता है जिसका निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के विवेचन के आधार पर किया जायेगा। ऐसे विवाद्यक का निर्णय अन्य विवाद्यकों के साथ किया जा सकता है अथवा अलग से अन्य विवाद्यकों से पूर्व भी किया जा सकता है। किन्तु इसके लिये साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवसर एवं विवेचना आवश्यक है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RRT 1357 प्रकरण श्री चारभुजाजी जरिये मोड़ीदास बनाम रामनारायण एवं अन्य में यही प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादपत्र के अभिवचनों से बाहर जा कर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें यह बखूबी प्रतिपादित किया गया है कि ''विधि से वर्जित'' होने के आधार पर दावा खारिज करने हेतु केवल वादपत्र के अभिवचनों को ही देखा जावेगा।

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गोविन्दनारायण के प्रकरण 2011 (4) WLC (Raj.) 531 में यह प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत प्रकरण का निर्णय करते समय केवल वादपत्र के अभिकथनों को ही देखना होता है। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 4 व 5 निम्न प्रकार हैः—

> *"4- In Saleem Bhai and Others Versus State of Maharashtra and others reported in 2003 (1) SCC 557, the Hon'ble Apex Court has held with reference to Order VII Rule 11 of the Code that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power at any stage of the suit before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses*

(a) and (d) of Order VII Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.

5- The crux of aforesaid judgment is that the disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 of CPC. The learned trial court is found to have un-erringly dismissed the application filed by the defendant-petitioner under Order 7 Rule 11 (D) of CPC ."

(2) गोविन्द नारायण के उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रुप से यह भी प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 किसी भी पक्षकार को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देता हैः—

"The Court is not required to pass an order under Order 7 Rule 11 CPC at the behest of the defendant when an application is filed under this provision by the defendant in this regard. The power to attract the provisions of Order 7 Rule 11 CPC is not conferred on the party to the suit. On the contrary, it is the bounden duty of every Court to obtain the report of the Munsarim or Reader of the Court, as the case may be, and thereafter if the contents of the plaint constitute a cause of action; it is sufficiently stamped and it is not barred by law, the Court shall order to register the plaint and if it does not disclose any cause of action or it is insufficiently stamped or it is barred by law, then without there being any prayer of the defendant, the Court is duty bound to reject the plaint suo-moto. Thus, the power to attract the provisions of Order 7 Rule 11 CPC is not conferred on the party, but it is conferred on the Court and it is the Court alone, which can exercise the powers to reject the plaint under Order 7 Rule 11 CPC. If viewed from this angle, it can safely be inferred that the petitioner-defendant had no right to file the application under Order 7 Rule 11 CPC imploring the Court to reject the plaint and the application was not maintainable." (para 9)

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही विपिन टकसाली के प्रकरण 2012 (2) DNJ (Raj.) 582 में भी यही प्रतिपादित किया है किः—

"From the bare reading of the provisions contained in Order 7 Rule 11(d) of CPC it transpires that the plaint could be rejected only if from the statement in the plaint it appears that the suit is barred by any law. There being no

statement in the plaint from which it would appear that the suit is barred by any law, the trial court has rightly rejected the application of the defendant."

(4) इसके अलावा भी 2003 (1) DNJ (SC) 107, 2008 (3) DNJ (Raj) 1343 आदि में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण करने के लिये केवल और केवल वादपत्र के अभिकथनों को देखा जाना है। प्रार्थनापत्र में अथवा वादोत्तर में वर्णित किये गये तथ्यों/ अभिकथनों का आदेश 7 नियम 11 के प्रकरण से कोई संगतता नहीं है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विचारण न्यायालय को वादपत्र के अभिवचनों के परीक्षण उपरान्त वाद की पोषणीयता बाबत विनिश्चयन करने के लिये सशक्त करते है, किन्तु यह प्रावधान प्रतिवादी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान नहीं करते है कि वह वादपत्र से भिन्न तथ्यों के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत कर वाद को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का अनुरोध कर सके। अधिक से अधिक प्रतिवादी को यह छूट हो सकती है कि वह वादपत्र में वर्णित ऐसे अभिवचनों की तरफ न्यायालय का ध्यान दिला सकता है, जिनसे दावा विधि से वर्जित साबित होता हो। किन्तु जब प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अथवा जवाबदावे में अतिरिक्त अभिकथन करके कुछ ऐसे नवीन तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनको साबित करने के लिये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता पडे तो ऐसी आपत्ति आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के दायरे (scope) से बाहर है।

10— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2003 SC 759 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अगर वादपत्र के अभिवचनों से ही दावा चलने योग्य नहीं है तो बिना जवाबदावा भी आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र के आधार पर खारिज किया जा सकता है। अतः ऐसे प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करने से पहले जवाबदावा हेतु निर्देश देना सही नहीं माना गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादपत्र को पढने मात्र से यह प्रतीत नहीं होता है कि दावा विधि से वर्जित है, अतः इस न्यायिक दृष्टान्त से अपीलार्थी पक्ष के तर्क को कोई समर्थन नहीं मिलता है।

11— अपीलार्थी का एक तर्क यह भी है कि वादी प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। इस आपत्ति

के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा मत है कि ऐसी आपत्ति, प्रतिवादी द्वारा जवाबदावें में उठाई जा सकती है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है।

12— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादीगण/ प्रत्यर्थीगण के वाद को खारिज किया जाना विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित है और उक्त निर्णय को अपास्त करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—10—09 विधिसंगत होने से पुष्टि योग्य है।

13— परिणामतः प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है और इस कारण हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.गुप्ता)
सदस्य

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य